न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 324/2018

तारीख दायरा : 18.09.2018

उनवान

1.मनोज पुत्र भौरेलाल जाति धानक निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

वादी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

...असल प्रतिवादी।

2.नवल पुत्र भौरेलाल जाति धानक निवासी नगंली औझा तहसील मुण्डावर।

3.राजेश पुत्र भौरेलाल जाति धानक निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर।

4.शारदा ।

5.गुडड़ी ।

6.सुनीता पुत्रीयान भौरेलाल जाति धानक निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर।

7.अंगूरी पत्नी स्व0 श्री भौरेलाल जाति धानक निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर।

......तरतीवी प्रतिवादीगण।

(दावा इस्तकराहक मय दुरूस्ती राजस्व रिकाडे)

उपस्थिति :– श्री अरूण पण्डित, अभिभाषक ....वादी की ओर से ।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांकः 17.6.19

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख.न. हाल 784/641 रकबा 1.52 हैक्टेयर का 1/5 भाग दर 1/5 वाके ग्राम नंगली औझा में स्थित है जो विवादित आराजी है। उक्त आराजी सोमोती पत्नी हरदेवा जाति धानक निवासी रसगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है तथा मिन वादी व तर. प्रतिवादीगण का पिता/पति भौरेलाल, सोमोती के जीवनकाल में ही फौत हो गया था तथा सोमोती के फौत होने पर आराजी जर्ये विरासत मिन वादी व तर. प्रतिवादीगण हीरालाल व किशन व सरवण व मामकौर को प्राप्त हुई। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सोमोती की विरासत का इतंकाल दर्ज करते समय वादी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

व तर. प्रतिवादीगण के पिता/पति भौरेलाल का नाम मोहरसिंह दर्ज कर दिया जबकि हम वादी व तर.प्रतिवादीगण के पिता/पति का नाम भौरेलाल रहा है। राजस्व रिकार्ड में भौरेलाल के स्थान पर मोहरसिंह दर्ज होने से मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के हकूक प्रभावित हो रहे है। मिन वादी के पिता के दस्तावेज राशन कार्ड, सरपंच प्रमाण पत्र आदि में भौरेलाल दर्ज है। सोमोती के भौरेलाल के अलावा अन्य कोई वारिस मोहरसिंह नाम का व्यक्ति नहीं है। भौरेलाल व मोहरसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। अन्त में निवेदन किया गया कि रिकार्ड में मोहरसिंह के स्थान पर भौरेलाल दर्ज किया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद सम्यक तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वंय वादी, गवाह हरपालसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्रामवासियान् का मेजरनामा (प्रमाण पत्र) सरपंच ग्राम पंचायत नंगली औझा का प्रमाण पत्र, प्रति वादी न.2 का शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित एवं भौरेलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार राशन कार्ड, वादी का आधार कार्ड पहचान पत्र, तर0 प्रतिवादी न.3 राजेश कुमार का आधार कार्ड व पहचान पत्र, प्रतिवादी न.2 का आधार कार्ड व पहचान पत्र आदि पेश किये गये है।

हमने योग्य अधिवक्ता वादी को सुना तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद वादी के पिता भौरेलाल का नाम मोहर सिंह दर्ज किये जाने को लेकर है। वादी का कथन है कि उसके पिता का वास्तविक नाम भौरेलाल है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई बहन है तथा भौरेलाल की सन्तान है। वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड पेश किये गये है जिनमें वादी के पिता का नाम भौरेलाल दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र भौरेलाल में भी भी भौरेलाल नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त तरतीवी प्रतिवादी न. 2 व 3 के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र के अनुसार भी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता का नाम भौरेलाल दर्ज है। गवाह हरपालसिंह द्वारा अपने शपथ पत्र में वादी के पिता का नाम भौरेलाल होना ताईद किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य भलीभांति साबित होता है कि वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता का नाम भौरेलाल दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी स. 2072–75 में भौरेलाल के स्थान पर मोहरसिंह दर्ज है। सोमोती की विरासत इतंकाल सख्या 351 में मोहरसिंह नाम अंकित है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम भौरेलाल दर्ज होना चाहिए था।

उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त हम यह पाते है कि वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता का वास्तविक नाम भौरेलाल है राजस्व रिकार्ड में भौरेलाल के स्थान पर मोहरसिंह दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण होने से दुरूष्त किये जाने योग्य है। अतः मोहरसिंह के स्थान पर भौरेलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा आराजी ख.न. हाल 784/641 रकबा 1.52 हैक्टेयर का 1/5 भाग दर 1/5 वाके ग्राम नंगली औझा में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता का नाम मोहरसिंह के स्थान पर भौरेलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिकी जारी हो।

17.6.19
(योगेश कुमार डांगुर)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निणर्य आज दिनांक 17.6.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.6.19
(योगेश कुमार डांगुर)
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 324/2018

तारीख दायरा : 18.09.2018

उनवान

1.मनोज पुत्र भौरेलाल जाति धानक निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

वादी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

...असल प्रतिवादी।

2.नवल पुत्र भौरेलाल जाति धानक निवासी नगंली औझा तहसील मुण्डावर।

3.राजेश पुत्र भौरेलाल जाति धानक निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर।

4.शारदा ।

5.गुडड़ी ।

6.सुनीता पुत्रीयान भौरेलाल जाति धानक निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर।

7.अंगूरी पत्नी स्व0 श्री भौरेलाल जाति धानक निवासी नंगली औझा तहसील मुण्डावर।

......तरतीवी प्रतिवादीगण।

(दावा इस्तकराहक मय दुरूस्ती राजस्व रिकाडे)

पर्चा डिकी दिनांक 17.6.19

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा आराजी ख.न. हाल 784/641 रकबा 1.52 हैक्टेयर का 1/5 भाग दर 1/5 वाके ग्राम नंगली औझा में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता का नाम मोहरसिंह के स्थान पर भौरेलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

17.6.19

(योगेश कुमार डागुर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner